न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

अपील संख्या : 2022/29

हेमराज आयु 45 वर्ष पुत्र श्री गंगाराम जाति भील निवासी गंडावद तहसील पीपल्दा जिला कोटा ।

——अपीलान्ट

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार तहसील पीपल्दा जिला कोटा ।

——रेस्पोडेन्ट

उपस्थित :– 1. श्री मनोज तिवारी, शम्भूदयाल शर्मा, अभिभाषक, अपीलान्ट की ओर से ।
2. पैरोकार सरकार, रेस्पोडेन्ट की ओर से ।

निर्णय दिनांक: 30.06.2022

1. अपीलान्ट द्वारा उक्त अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी इटावा जिला कोटा द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 28.06.2018 के विरूद्ध पेश की गई है ।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से हैं कि वादी अपीलान्ट ने परीक्षण न्यायालय में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 88, 89, 90, 91 एवं 188 के अन्तर्गत वाद प्रस्तुत कर कथन किया कि ग्राम गडावाद तहसील पीपल्दा जिला कोटा में खसरा नम्बर 143/1मिन रकबा 03 बीघा 10 बिस्वा, खसरा नम्बर 345/141 रकबा 02 बीघा 17 बिस्वा भूमि स्थित है । उक्त भूमि वादी के पिता स्व0 गंगाराम के कब्जा की आराजी है जिस पर वह जब तक जीवित रहे काश्त काश्त रहे । उनकी मृत्यु के बाद उनका एकमात्र पुत्र होने से काबिज काश्त चला आ रहा है । स्वर्गीय गंगाराम की मृत्यु दिनांक 06.12.2003 को हो चुकी है । उक्त भूमि पर वादी के पिता एवं वादी का लगातार 50 वर्षों से निरन्तर कब्जा काश्त चला आ रहा है वर्तमान में उनका कब्जा काश्त है । वादी को कब्जा मुखालफाना के आधार पर खातेदारी अधिकार प्राप्त हो चुके हैं । राजस्व विभाग के कर्मचारियों द्वारा वादी के पिता के खाते में दर्ज नहीं कर सरकार के खाते में दर्ज कर दी ।

3. अतः वाद वादी स्वीकार कर वादी के पक्ष में प्रतिवादी के विरुद्ध इस आशय की डिक्री पारित की जावे कि वादग्रस्त आराजी का वादी को खातेदार फरमाया जाकर वादग्रस्त आराजी वादी के राजस्व रिकॉर्ड में खातेदारी में दर्ज की जावे । प्रतिवादी को स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द फरमाया जावे कि वे वादी के कब्जे काश्त की आराजी में किसी प्रकार की मदाखलत व मजाहमत नहीं करें ।

4. परीक्षण न्यायालय ने उक्त वाद को राजस्व लोक अदालत कैम्प दुर्जनपुरा में रखते हुए अपने निर्णय दिनांक 28.06.2018 के द्वारा वाद वादी खारिज कर दिया ।

5. परीक्षण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 28.06.2018 से व्यथित होकर वादी अपीलान्ट ने न्यायालय हाजा में अपील प्रस्तुत कर कथन किया कि वादग्रस्त आराजी पर वादी लगभग 50 वर्षों से काबिज काश्त है । अपीलान्ट के पिता ने वादग्रस्त आराजी के पेटे 190/– रूपये 50 पैसे जमा करवा दिये थे । उक्त भूमि का आवंटन पत्र भी वादी के पिता के पक्ष में जारी कर दिया था इसके बावजूद बिना किसी उचित कारण के उक्त भूमि का आवंटन दिनांक 30.07.1977 को निरस्त कर दिया । परीक्षण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री त्रुटिपूर्ण है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर परीक्षण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 28.06.2018 निरस्त फरमाया जावे ।

6. अपीलान्ट ने अपील के साथ प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 भारतीय मियाद अधिनियम का प्रस्तुत कर कथन किया अपीलान्ट उक्त अपील समय पर प्रस्तुत नहीं कर सका था क्योंकि अपीलान्ट कानून नहीं समझता है । उसके बाद सन् 2020 से कोरोना महामारी के कारण लॉक डाउन लग जाने के कारण अपीलान्ट उक्त आदेश की अपील समय पर पेश नहीं कर सका । अतः अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब अवधि को क्षम्य किया जावे ।

7. अपील अपीलान्ट सब्जेक्ट टू लिमिटेशन दर्ज रजिस्टर की गई । उभय पक्ष के विद्वान् अभिभाषकगण की बहस सुनी गई ।

8. अपीलान्ट के विद्वान् अभिभाषक ने अपनी बहस में अपील मीमो में कहे गये कथनों को दोहराते हुए कथन किया कि अपीलान्ट द्वारा परीक्षण न्यायालय के समक्ष साबित कर दिया था कि ग्राम गंडावद तहसील पीपल्दा में खसरा नम्बर पुराना 143/1 मिन रकबा 03 बीघा 10 बिस्वा, खसरा नम्बर 345/141 रकबा 02 बीघा 17 बिस्वा स्थित है । उक्त भूमि वादी के पिता के कब्जे काश्त में थी उनकी मृत्यु के बाद उक्त भूमि वादी के कब्जे काश्त में रही है । उक्त भूमि पर वादी अपीलान्ट का पिछले 50 वर्षों से कब्जा काश्त चला आ रहा है । वादी अपीलान्ट को वादग्रस्त आराजी पर कब्जा मुखालफाना के आधार पर खातेदारी अधिकार प्राप्त करने के अधिकारी हो चुके हैं । वादग्रस्त आराजी पर वादी लगभग 50 वर्षों से काबिज काश्त है । अपीलान्ट के पिता ने वादग्रस्त आराजी के पेटे 190/– रूपये 50 पैसे जमा करवा दिये थे । उक्त भूमि का आवंटन पत्र भी वादी के पिता के पक्ष में जारी कर दिया था इसके बावजूद बिना किसी उचित कारण के उक्त भूमि का आवंटन दिनांक 30.07.1977 को निरस्त कर दिया । परीक्षण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री त्रुटिपूर्ण है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर परीक्षण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 28.06.2018 निरस्त फरमाया जावे ।

9. रेस्पोडेन्ट की ओर से विद्वान् अभिभाषक अपीलान्ट ने अपनी बहस में कथन किया कि वादग्रस्त आराजी राजस्व रिकॉर्ड में सिवायचक भूमि है । वादी अपीलान्ट को कब्जा मुखालफाना के आधार पर खातेदारी प्रदान नहीं की जा सकती । परीक्षण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय विधि सम्मत है । अतः अपील अपीलान्ट खारिज फरमाई जाकर परीक्षण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 28.06.2018 बहाल रखा जावे ।

10. हमने पत्रावली का अद्योपान्त अवलोकन किया एंव उभय पक्ष के विद्वान् अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया । हमने सर्वप्रथम अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 भारतीय मियाद अधिनियम का अवलोकन किया । अपीलान्ट ने अपने प्रार्थना पत्र में विलम्ब के जो कारण बताऐ हैं वे उचित प्रतीत होते हैं । अतः न्यायहित में अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 भारतीय मियाद अधिनियम का स्वीकार किया जाकर अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब अवधि को क्षम्य किया जाता है ।

11. वदी अपीलान्ट ने वादग्रस्त आराजी पर कब्जा मुखालफाना के आधार पर हक घोषणा का वाद प्रस्तुत किया । परीक्षण न्यायालय में पत्रावली वास्ते सरकार जवाब में लम्बित थी । परीक्षण न्यायालय की आदेशिका दिनांक 26.02.2018 के अनुसार पत्रावली में आगामी तारीख पेशी दिनांक 07.05.2018 नियत की गई । परीक्षण न्यायालय ने उक्त नियत दिनांक 07.05.2018 को पेश नहीं हुई और दिनांक 28.06.2018 को सीधे राजस्व लोक अदालत कैम्प दुर्जनपुरा में रखते हुए वाद वादी खारिज किया है । हमने परीक्षण न्यायालय की आदेशिका का अवलोकन किया । परीक्षण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय लोक अदालत में होना अंकित है । वाद की आदेशिका एवं पत्रावली में कहीं भी लोक अदालत के नोटिस या आदेश अपीलान्ट को जारी नहीं किये गये । अपीलान्ट के लोक अदालत में उपस्थिति के हस्ताक्षर भी नहीं हैं । इससे स्पष्ट है कि लोक अदालत में अपीलान्ट को सुनवाई का अवसर नहीं दिया गया है । लोक अदालत में केवल राजीनामे की भावना के आधार पर ही निर्णय पारित किये जाते हैं । परीक्षण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय त्रुटिपूर्ण है । हम प्रस्तुत प्रकरण को परीक्षण न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया जाना उचित समझते हैं ।

12. अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है । परीक्षण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 28.06.2018 निरस्त किया जाता है । प्रकरण परीक्षण न्यायालय को प्रतिप्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि अपीलान्ट को सुनवाई का अवसर प्रदान करते हुए नये सिरे से विधि सम्मत रूप से सीपीसी की पालना करते हुए गुणावगुण के आधार पर निर्णय पारित करें । पक्षकारान को पाबन्द किया जाता है कि वे दिनांक 08.08.2022 को परीक्षण न्यायालय में उपस्थित हों।

13. निर्णय आज दिनांक 30.06.2022 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(मनोज कुमार)
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा